UPSP010081162026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-10, सहारनपुर

पीठासीन अधिकारी— **संजय कुमार-V**, उच्चतर न्यायिक सेवा

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- 3499 सन् 2026

साजिद पुत्र अफलातून निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य **.....अभियोजन**

मु.अ.सं.- 100/2026
धारा- 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट
थाना- तीतरो, जिला- सहारनपुर।

17.08.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **साजिद** द्वारा **मु०अ०सं०- 100/2026 धारा- 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट** थाना- **तीतरो**, जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ **आबिद** का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना-पत्र माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 30.07.25 को मैं उ0नि0 मुकेश कुमार मय हमराह हे0का0 1035 सचिन लाकडा व का0 1034 रविन्द्र कुमार मय प्राईवेट वाहन के थाना हाजा से बहवाले रपट सं0 11 समय 07.31 बजे पर रवाना होकर अंदर इलाका थाना क्षेत्र में वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन इत्यादि में मामूर थे, जब हम पुलिस वाले रादौर रोड पर सतपाल पुत्र साधू नि० ग्राम रादौर की ट्यूबवैल के पास पहुँचे तो ट्यूबवैल पर बने कमरे के पास एक संदिग्ध व्यक्ति बैठा हुआ समोसे व कोल्ड ड्रिंक पी ड्रिंक पी रहा था। टयूबवैल पर बैठा वह व्यक्ति संदिग्ध लगने पर पर हम पुलिस वाले अपनी प्राईवेट गाड़ी रास्ते पर खड़ी करके पैदल पैदल छुपते-छुपाते मौके पर अपने निजी फोन से वीडियोग्राफी कराते हुए इस व्यक्ति के पास पहुँचे तो अचानक हम पुलिसवालों को देखकर यह व्यक्ति शक-पकाकर हडबडाहट खडा हो गया, हम पुलिस वालों ने इस व्यक्ति को भागने का मौका न देते हुए घेर-घोटकर वही पकड लिया, जिसके दायें हाथ में एक काले रंग की खुली पन्नी, जिसके अन्दर एक सफेद पारदर्शी पन्नी रखी है, जिसमें हल्के गुलाबी रंग का पदार्थ है, पकडे गये व्यक्ति से इसका नाम-पता पूछा तो इसने अपना नाम **साजिद पुत्र अफलातून** निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर उम्र करीब 40 वर्ष बताया तथा पन्नी में बरामद सामान के बारे में पूछा तो बताया कि साहब मेरे पास इस पन्नी में स्मैक है, जो मैं

आपको दे रहा हूँ। पकड़े गये व्यक्ति को बताया गया कि धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों के अनुसार आप अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा सकते हैं। यह आपका अधिकार है, इस पर यह व्यक्ति बोला कि साहब जब आपने मुझे पकड़ ही लिया है तो आप ही मेरी तलाशी ले लो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, मेरे पास जो स्मैक थी, वह मैंने पहले ही आपको दे दी है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी जामा तलाशी लिवाकर और गवाह नहीं बनाना चाहता हूँ, फिर भी मुझ उ0नि0 द्वारा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के मोबाईल फोन पर सम्पर्क किया गया तो श्रीमान क्षेत्राधिकारी गंगोह महोदय द्वारा बताया गया कि मैं सरकारी काम से मा० न्यायालय सहारनपुर में आया हूँ। बामजबूरी मुझ उ0नि0 द्वारा मौके पर सहमति पत्र अन्तर्गत धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट तैयार कर अभियुक्त के हस्ताक्षर कराकर जामा तलाशी हेतु सहमति प्राप्त की गयी तथा हम पुलिसवालों ने अपनी जामा तलाशी आपस में ले देकर विश्वास किया कि किसी के पास जुर्म से संबंधित कोई वस्तु नहीं है। इसके उपरान्त अभियुक्त की जामा तलाशी ली गयी तो पूर्व में बरामद पन्नी के अलावा पकडे गये व्यक्ति के कपड़ों की जामा तलाशी से कोई शय बरामद नहीं हुई। बरामदा काली पन्नी के अन्दर की पारदर्शी पन्नी को खोलकर देखा तो हल्के गुलाबी रंग का पदार्थ बरामद हुआ, जो देखने में नशीला पदार्थ स्मैक जैसा लगा रहा है, जिसे विवेचना किट से इलेक्ट्रोनिक कांटा निकालकर वजन किया तो इसका **कुल वजन 425 ग्राम** पाया गया। अभियुक्त ने बताया कि साहब यही मादक पदार्थ स्मैक है। पकडे गये इस व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब मैं यह स्मैक हरियाणा से लेकर आया हूँ तथा बेचने वाले का नाम-पता मुझे मालूम नहीं है और आने-जाने वाले लोगों को स्मैक बेचकर मुनाफा कमा लेता हूं, जिससे मेरा खर्चा चल जाता है। अभियुक्त साजिद उपरोक्त से बरामदा स्मैक को उसी पन्नी में ही रखकर एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में सील सर्वे मोहर किया गया। तौल पर्ची मौके पर तैयार की गयीं। अभियुक्त साजिद उपरोक्त का यह जुर्म धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट की हद को पहुँचता है, अतः अभियुक्त को इसके जुर्म से अवगत कराते हुए समय 10.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने कार्यवाही राह में आने-जाने वाले जनता के लोगों को मकसद बताकर गवाहान फराहम करने का प्रयास किया गया, परन्तु भलाई-बुराई के कारण कोई व्यक्ति गवाही हेतु तैयार नहीं हुआ। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेश-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर मुझ उ0नि0 द्वारा तैयार किया गया। उक्त आधार पर अभियुक्त के विरूद् धारा- 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना-पत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी को वाद उक्त में झूठा व गलत अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराध उपरोक्त धाराओं का नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों से प्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराध उपरोक्त धाराओं का नहीं बनता है। जो कहानी प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखी गयी है, वह झूठी एवं मनघडन्त बनायी गयी है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्रार्थी से कोई तथाकथित बरामदगी नहीं हुयी है। जो बरामदगी दिखायी गयी है, वह प्रार्थी पर झूठी आरोपित की गयी है। तथाकथित बरामदगी का कोई भी निष्पक्ष जनता का साक्षी नहीं है। महज पुलिस कारगुजारी है। प्रार्थी को गांव की पार्टीबाजी व रंजिश के कारण

पूछताछ के लिए घर से उठाकर तमाम लिखा-पढी थाने पर बैठकर करके प्रार्थी का इस मामले में झूठा चालान किया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी दिनांक 30-7-2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी स्थायी निवासी है, भले परिवार का है, उसके भागने या जमानत का दुरूपयोग करने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थी उचित जमानत पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त **साजिद** को पुलिसकर्मियों द्वारा मौके पर गिरफ्तार किया गया है तथा जामा-तलाशी में उसके कब्जे से **425 ग्राम अवैध स्मैक** की बरामदगी हुई है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत अपराध की पुनरावृत्ति करेगा तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में प्रपत्रों का अवलोकन किया।

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 स्वापक औषधि और साइकोट्रोपिक पदार्थों से संबंधित ऑपरेशनों के नियंत्रण और विनियमन के लिए सख्त प्रावधानों का निर्माण करता है। अधिनियम की धारा 37(1)(ख) के अनुसार-

> *(ख) धारा 19 या धारा 24 या धारा 27 क के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए भी दंड़नीय किसी अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी निर्मुक्त किया जाएगा जब-*
>
> *(i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है, और*
>
> *(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।*

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **The State of Meghalaya Vs Lalrintluanga Sailo & Anr. 2024 INSC 537** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि- “While considering the application for bail made by an accused involved in an offence under NDPS Act a liberal approach ignoring the mandate under Section 37 of the NDPS Act is impermissible. Recording a finding mandated under section 37 of the NDPS Act, which is *sine qua non* for granting bail to an accused under the NDPS Act cannot be avoided while passing orders on such applications.

उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि मामले में प्रार्थी/अभियुक्त **साजिद** को पुलिसपार्टी द्वारा मौके से गिरफ्तार किया जाना एवं उसके कब्जे से **425 ग्राम स्मैक** बरामद होना अभिकथित है। उक्त **स्मैक** के सम्बन्ध में **केन्द्रीय सरकार के नोटिफिकेशन का आ.1055 (ई) दिनांक 19.10.2001 केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)** के सारणी में निम्न इन्द्राज हैः-

नोटिफिकेशन में क्र. सं.	पदार्थ का नाम	अल्पमात्रा	वाणिज्यिक मात्रा	अभियुक्त से बरामद
56	स्मैक	05 ग्राम	250 ग्राम	**425** ग्राम

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से बरामद **स्मैक** की मात्रा**,** वाणिज्यिक मात्रा से भी काफी अधिक है। बरामदगी की मात्रा अधिक है तथा अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियोजन के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त 03 अन्य मामले भी पंजीकृत हैं, जो इस प्रकार हैं–

क्र.सं.	**मु.अ.सं.**	**धारा**	**थाना**	**जिला**
1.	653/2024	21/60/8 एन०डी०पी०एस० एक्ट	देवबन्द	सहारनपुर
2.	11/2023	2//19/8 एन०डी०पी०एस० एक्ट	नकुड	सहारनपुर
3.	100/2016	8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट	तीतरो	सहारनपुर

मामले के तथ्यों तथा अभियुक्त के पूर्व आपराधिक इतिहास को देखते हुए इस बात की संभावना है कि वह भविष्य में जमानत का दुरुपयोग कर सकता है। स्वापक औषधि व मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से बडी संख्या में जनसमाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत मामले की विवेचना अभी प्रचलित है। इस स्तर पर धारा–37 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के मद्देनजर यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार नहीं है कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है और यह भी विश्वास करने का कोई आधार नहीं है कि यदि जमानत दी जाती है, तो जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा पुनः कोई अपराध किये जाने की सम्भावना नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **साजिद** की ओर से **मु०अ०सं०- 100/2026 धारा- 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट** थाना- **तीतरो**, जिला सहारनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनाँक – 17.08.2026

(संजय कुमार-V)
विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-10,
सहारनपुर।
(जे.ओ. कोड-यू.पी.1773)

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.08.18 10:58:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court